राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

सीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मा नम्बर– 68 / 2020

MS No. 2020/00440

पूर्णमल पुत्र स्व. बजरंग उम्र 59 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, माजी साहब का बाग, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

<u>ब–ना–म</u>

1. लही देवी पत्नी स्व. बजरंग उम्र 80 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, माजी साहब का बाग, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. नरेश कुमार पुत्र स्व. बजरंग उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, माजी साहब का बाग, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. नाथी पुत्री मालिया पत्नी स्व. गोविन्द स्व. बजरंग उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, माजी साहब का बाग, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद हिसार, हरि0
4. बनारसी पुत्र स्व. बजरंग पत्नी बेगराज उम्र 67 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, माजी साहब का बाग, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद हिसार, हरि0
5. बलवीर पुत्र स्व. मानाराम उम्र 58 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 18, खेतड़ी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. रणवीर पुत्र स्व. मानाराम उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16 खेतडी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. केशर पुत्र स्व. मानाराम उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. सुन्दर पुत्र स्व. मानाराम उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं. 16, खेतड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
9. वन अधिकारी (फारेस्टर), वन विभाग, खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. डी.एफ.ओ., झुन्झुनूं, राज0
11. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती नक्शा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व</u>

<u>अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

Signature Not Verified

निर्णय :: दिनांक : 15–12–2022

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कस्बा खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 1509 के हाल खसरा नंबर 3179 रकबा 1.09 है., ख.नं 31.. रकबा 1.26 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है बने हैं जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

1 लगा. 8 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा ख.नं. 3711/3180 भी वादी की ही खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी काबिज है। उक्त भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व 1/12–1/12 प्रतिवादी सं. 1, 2 का है व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का है व 1/4 हिस्सा मानाराम पुत्र मालिया का है जिसका 8–9 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। उक्त मानाराम के वारिशान प्रतिवादी सं. 5 लगा. 8 हैं जिनसे कोई विवाद नहीं है। भूमि खसरा नंबर 3179 व 3180 वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, ख.नं. 3711/3180 भी वादी की ही खातेदारी में दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से ख.नं. 3711/3180 वन विभाग के नाम दर्ज हो गया। उक्त वाद वर्णित भूमि पर वादी पिढ़ी दर पिढ़ अपने पूर्वजों के समय से अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 9 व 10 वादी की भूमि खसरा नंबर 3179, 3180, 3711/3180 की सीमा को तोड़ कर पुख्ता दीवार जबरन बनाना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 11 भूमि धारक है जिन्हें भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि प्रतिवादी सं. 11 के अधीनस्थ कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शा सन् 1979–80 गलत बनाया गया है जबकि नक्शा सन् 1938–39 का नक्शा सही है। उक्त नक्शे को सन् 1938–39 के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 9 व 10 अब जबरन से वादी के हिस्से की भूमि पर पुख्ता दीवार का निर्माण कर रहे हैं जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही वादी को पूर्व में इसकी सूचना दी गई है तथा अब प्रतिवादी सं. 9 व 10 बहुत से मजदूर व कारीगर लगाकर दीवार का निर्माण कर रहे हैं जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 9 व 10 वादी की भूमि खसरा नंबर 3179 व 3180 व 3711/3180 में गलत नक्शा के आधार पर पुख्ता दीवार का निर्माण कर लेते हैं तो वादी को ऐसी हकतलफी होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) प्रतिवादी सं. 9 व 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की भूमि खसरा नंबर 3179 व 3180 व ख.नं. 3711/3180 की पूर्व सीमा की ओर जबरन से पुख्ता दीवार का निर्माण ना करें तथा ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों आदि से करावें।

(ख) वाद वर्णित भूमि का हाल नक्शा जो सन् 1979–80 का है उसे सन् 1938–39 के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर, सन् 1938–39 के मुताबिक की नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 लगा. 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी सं. 9 की ओर से जरिये प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी ने बिन्दुवार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :–

1. वाद में वर्णित खसरा नंबर 3711/3180 वन खण्ड बांसियाल–53 की रक्षित वन भूमि है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है (एनेक्शर–1) वन खण्ड बांसियाल–53 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ3(13)वनरु2016 दिनांक 01.03.2017 वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत कन्जर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 में दिये गये निर्देशों के क्रम में किसी भी प्रकार की तथा किसी भी सरकार अभिलेख में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागु होते हैं। जिसके अनुसार बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी कार्य/आवंटन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

खसरा नंबर 3711 व 3180 में विभाग का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। खसरा नंबर 3711/3180 रक्षित वन भूमि में पक्का दीवार निर्माण कार्य चल रहा है। रक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का आवंटन/खातेदारी अधिकार निरस्त योग्य है। (एनेक्शर–2)

खसरा नंबर 3711/3180 वन खण्ड बांसियाल–53 क रक्षित वन भूमि है और इसमें किसी प्रकार का किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं है।

खसरा नंबर 3179 व 3180 में विभाग का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तथा खसरा नंबर 3711/3180 में पक्की दीवार निर्माण कार्य चल रहा है और वह रक्षित वन भूमि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 में दिये गये निर्देशों के क्रम में किसी भी प्रकार की तथा किसी भी सरकार अभिलेख में दर्ज वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागु होते हैं। जिसके अनुसार बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी कार्य/आवंटन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। (एनेक्शर–3)

खसरा नंबर 3711/3180 में पक्की दीवार निर्माण कार्य चल रहा है और वह रक्षित वन भूमि है। वन खण्ड बांसियाल--53 राज्य सरकार क अधिसूचना क्रमांक एफ3(13)वनरु2016 दिनांक 01.03.2017 वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत कन्जर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। (एनेक्शर–4) इस भूमि पर पक्की दीवार का कार्य कंजर्वेशन रिजर्व की सीमा पर वन्य जीव एवं वन सुरक्षा के उद्देश्य से करवाया जा रहा है जिसका वन विभाग को पूर्ण अधिकार है।

खसरा नंबर 3711/3180 राजस्व रिकार्ड के हिसाब से वन विभाग की भूमि है।

खसरा नंबर 3711/3180 राजस्व रिकार्ड के हिसाब से वन विभाग की भूमि है जिसका ट्रेस नक्शा एवं खसरा जमाबन्दी संलग्न है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26, 30, 32, 33 के अन्तर्गत रक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करना तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–36क के अन्तर्गत कन्जर्वेशन रिजर्व में अनुज्ञा पत्र के बिना नाशकरण करना अपराध है। (एनेक्शर–5)

प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/589 दिनांक 1.07.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल खेतड़ी की मूल रिपोर्ट बिन्दुवार संलग्न कर भिजवाई जो निम्नानुसार है :–

कस्बा खेतड़ी स्थित खरा नंबर 3179 रकबा 0.01 है. किस्म बारानी चतुर्थ एवं खसरा नंबर 3180 रकबा 1.26 है. किस्म बारानी चतुर्थ मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार पूर्णमल पुत्र बजरंग, नरेश पु0 बजरंग, लही देवी पत्नी बजरंग, भानाराम पुत्र मालीया, बनारसी पुत्री मालिया एवं नाथी पुत्री मालीया जाति माली सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 3177 एवं 3180 गत खसरा नंबर 1509 मी. से बने हैं।

वादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा जारी गत नक्शा शीट क्रमांक 1179 दिनांक 15.06.22 एवं वर्तमान नक्शा शीट (डिजिटल) को मिलान करने पर खसरा नंबर हाल 3711/3180 रकबा ... किस्म गै.मु. पहाड की बाहरी सीमाओं के आंशिक भाग एवं कुछ ... को शामिल करते हुए एवं खसरा नंबर 3182 जो फुलचन्द पु0 ... खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है की तरफ आंशिक भाग को छोड़ते हुए गत खसरा नंबर 1509 की सीमाओं का मिलान होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:47:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित खसरा नंबर 3711/3180 रकबा 0.20 है. मुताबिक राजस्व रिकार्ड वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

रकबा बारानी करने पर हाल खसरा नंबर 3180 का रकबा जमाबन्दी अनुसार पूर्ण नहीं होता है। जबकि गत खसरा नंबर 1509 का रकबा वर्तमान में दर्ज रकबे अनुसार मिलान होता है।

मौके अनुसार वादी का हाल खसरा नंबर 3179 एवं 3180 की सीमाओं के साथ वन विभाग के खसरा नंबर 3711/3180 की सीमाओं को शामिल करते हुए मौके पर कब्जा काश्त है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता ं. 96 ग्राम खेतड़ी, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा शीट (मोमीया) सरदर ानूनगो, झुन्झुनूं से जारी, नकल नक्शा किश्तवार, नकल जमाबन्दी संवत् 2027–30 पेश ी गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध स्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। त्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2027–30 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त ूमि गत् ख.नं. 1509 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा मालिया पुत्र भाना माली सा.देह की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान भूमि गत् खसरा नंबर 1509मी. क्रमशः 3179, 3180 खसरा निर्मित किये गये। उक्त मालिया की मृत्यु के पश्चात् ादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 3179, 3180 नरेश पुत्र बजरंग, नाथी पुत्री मालिया, पूर्णमल पुत्र जरंग, बनारसी पुत्री मालिया, भानाराम पुत्र मालिया, लहीदेवी पत्नी बजरंग जाति माली ा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 खातेदारी में दर्ज इरसे के अनुसार काबिज काश्त है। नकल नक्शा किश्तवार सन् 1938–39 व सन् 979–80 के मिलान करने (Super impose) से यह स्पष्ट होता है कि साबिक ख.नं. 1509 हाल ख.नं. 3179, 3180 की सीमाऐं भूमि खसरा नंबर 3711/3180 की सीमाओं में ामिल हो रही है। प्रथम दृष्ट्या दोनों नक्शा शीटों के मिलान से साबिक ख.नं. 1509 से ने हाल ख.नं. 3179, 3180 की पूर्वी सीमाऐं जो खसरा नंबर 3711/3180 की पश्चिमी ोमा से लगती हैं वो सही नहीं है जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार कर राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित हाल भूमि खसरा नंबर 3179 कबा 0.01 है., खसरा नंबर 3180 रकबा 1.26 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है. की व सीमाओं को गत नक्शा शीट सन् 1938–39 (गत खसरा नंबर 1509) के अनुसार र्तमान नक्शा शीट सन् 1979–80 मौजा खेतड़ी में शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये ाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर ारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

मीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

पूर्णमल

ब–ना–म

लही देव आदि

बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती नक्शा

मा नम्बर :– 68 / 2020

दिनांक :– 15–12–2022

वादी की ओर से श्री रोशन लाल सैनी एडवोकेट की व प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 की से श्री पीयूष सुरोलिया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2–2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी स्वीकार कर राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित हाल भूमि खसरा नंबर 3179 0.01 है., खसरा नंबर 3180 रकबा 1.26 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है. की पूर्व में को गत नक्शा शीट सन् 1938–39 (गत खसरा नंबर 1509) के अनुसार वर्तमान शीट सन् 1979–80 भौंज़ा खेतड़ी में शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15–12–2022 को मेरे इस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner